तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 6682 / 2006 / जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य** **अपील / एलआर / 6694 / 2006 / जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :–
श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक अपीलांट
श्री दिनेश कुमार सेन, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

दिनांक : 08.12.2025

निर्णय

यह दोनों अपीलें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील संख्या 156 / 2005 एवं अपील संख्या 151 / 2005 में पारित निर्णय दिनांक 08–08–2006 के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत पृथक–पृथक प्रस्तुत की गई है।

दोनों अपीलों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बनाड़ तहसील जोधपुर में स्थित खसरा नंबर 274 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा एवं खसरा नंबर 275 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा की खातेदार श्रीमती सायरा पत्नी अब्दुल गफ्फार थी। श्रीमती सायरा पत्नी अब्दुल गफ्फार का स्वर्गवास दिनांक 07.06.2005 को हो गया तथा श्रीमती सायरा ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.05.1991 को एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलांट अब्दुल गफ्फार पुत्र अब्दुल शकूर के पक्ष में निष्पादित किया । उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांट ने तहसीलदार, जोधपुर के समक्ष पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि का नामांतकरण अपीलांट के नाम पारित करने का निवेदन किया । उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र पेश कर ऐतराज पेश किया कि उसके पिता अब्दुल गफ्फार का देहांत होने पर अकेली माता के नाम नामांतकरण पारित कर दिया गया जबकि रेस्पो0 भी मृतक खातेदार की उत्तराधिकारी है । इसलिये नामांतकरण रजिया के नाम भरा जावे । इसी प्रकार रेस्पो0 संख्या 2 लुकमान ने ऐतराज पेश किया कि खसरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6682/2006/जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य** **अपील/एलआर/6694/2006/जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नंबर 274 व 275 के राजस्व रिकार्ड में गलत इंद्राज के विरूद्ध नामांतकरण की अपील जिलाधीश न्यायालय में विचाराधीन है तथा वसीयत झूंठी है । अतः राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे । तत्पश्चात् तहसीलदार, जोधपुर ने बहस सुनकर निर्णय दिनांक 19.11.2005 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा खसरा नंबर 274 व 275 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15.05.1991 से अपीलांट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया । तहसीलदार, जोधपुर के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने दो अलग–अलग अपीलें अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय में पेश की जिसे अति0संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 08.08.2006 के द्वारा दोनों अपीलें स्वीकार कर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2005 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, जोधपुर को प्रकरण इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया कि जिला कलक्टर के यहां विचाराधीन अपील संख्या 38/2005 में पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए व वसीयतनामे के बारे में कानूनी स्थिति का पूर्ण परीक्षण कर निर्णय पारित करे। अति0संभागीय आयुक्त, जोधपुर के उक्त आक्षेपित निर्णयों के विरूद्ध अपीलांट ने यह दो पृथक–पथक अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की है । दोनों अपीलों में विवादित भूमि, पक्षकार एवं कानूनी बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–प्रथक संधारित की जावे । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में श्रीमती सायरा खातेदार काश्तकार दर्ज थी जिसने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.05.1991 को वसीयत अपीलांट के पक्ष में निष्पादित की एवं दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6682/2006/जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य** **अपील/एलआर/6694/2006/जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16.05.1991 को वसीयत रजिस्टर्ड की गई । उक्त वसीयतनामे को आज दिनांक तक कोई चुनौती नहीं दी गई है । वसीयतनामे पर अब्दुल सत्तार व श्याम सुन्दर की साख लगाई जिनके शपथ पत्र वसीयत साबित करने हेतु प्रस्तुत हुए थे । तहसीलदार द्वारा बाद संपूर्ण जांच वसीयतनामा विधिवत् मानते हुए नामांतकरण तस्दीक करने के आदेश पारित किए गए है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र शपथ पत्रों पर जिरह नहीं होना मानते हुए तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में विधिक त्रुटि कारित की है। अति0संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष प्रकरण के सभी तथ्य एवं रिकार्ड उपलब्ध था । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने जिला कलक्टर के निर्णय के क्रम में प्रकरण को रिमाण्ड किया है जबकि जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.03.2007 में खसरा नंबर 274 व 275 की भूमि बाबत् किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं देते हुए माननीय मण्डल का विचाराधीन प्रकरण के निर्णय अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया है । उक्त निर्णय के विरूद्ध श्रीराम व मगनी द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अपील पेश की गई जो खारिज हुई व कलक्टर के रिमाण्ड आदेश की पालना में खसरा नंबर 311/08 व 311/09 बाबत् प्रकरण निस्तारित किया जाचुका है । ऐसी स्थिति में अपील संख्या 38/05 के निर्णय बाबत् रिमाण्ड आदेश का कोई औचित्य नहीं रहता है । रेस्पो0 ने नामांतकरण के माध्यम से अपने हक व अधिकारों को तय करवाने हेतु चुनौती दी है जो कतई विधिसम्मत् नहीं है । यदि किसी पक्षकार को अपने हक व अधिकारों बाबत् कोई उज्र है तो उसे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये था । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अति0संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2006 निरस्त कर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.11.2005 यथावत् रखा जावे । अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6682/2006/जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य** **अपील/एलआर/6694/2006/जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 रजिया मृतक खातेदार की अब्दुल गफार की जायंदा पुत्री है । तहसीलदार ने समस्त विधिक वारिसानों की जांच किये बिना आक्षेपित नामांतकरण तस्दीक किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । सायरा केवल अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान कर सकती थी उसे रेस्पो0 रजिया के हिस्से की भूमि का बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा पारित नामांतकरण आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत आदेश है । अतः दोनों अपील अपीलांट निरस्त की जावे । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बनाड़ के खसरा नंबर 274 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 8 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नंबर 311/8 रकबा 11 बीघा एवं खसरा नंबर 399/9 रकबा 6 बीघा कुल रकबा 31 बीघा 18 बिस्वा का मूल खातेदार अब्दुल गफार पुत्र मोहम्मद तेली था । रेस्पो0 रजिया मूल खातेदार की जायंदा पुत्री है । किन्तु तहसीलदार ने मूल खातेदार अब्दुल गफार की मृत्यु के पश्चात् उसकी समस्त विवादित आराजियात का विरासती नामांतकरण उसकी पत्नि सायरा के नाम स्वीकृत किया है जबकि उसकी जायंदा पुत्री रजिया भी मौजूद थी । इससे प्रकट होता है कि तहसीलदार, जोधपुर द्वारा मूल खातेदार की मृत्यु उपरांत उसकी विरासत का नामांतकरण तस्दीक करते समय मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान की जांच किये बिना आक्षेपित नामांतकरण आदेश पारित किए है । हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से भी सहमत है कि सायरा ज्यादा से ज्यादा अपने हिस्से की आराजियात का विक्रय कर सकती थी तथा जब तहसीलदार के समक्ष समस्त पक्षकार उपस्थित थे तो उन्हें शपथपत्रों पर जिरह का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था । विवादित आराजियात बाबत् जिला कलक्टर के समक्ष अपील संख्या 38/05 भी विचाराधीन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील/एलआर/6682/2006/जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य** **अपील/एलआर/6694/2006/जोधपुर** **अब्दुल गफूर बनाम मु0 रजिया व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है । उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अति0संभागीय आयुक्त, जोधपुर ने प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वसीयतनामे के बारे में कानूनी स्थिति का परीक्षण करे तथा पक्षकारों को सुनवाई का मौका प्रदान करे तथा जिला कलक्टर के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 38/05 में पारित होने वाले निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में नियमानुसार पुनः निर्णय पारित करे । अति0संभागीय आयुक्त का उक्त निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में दोनों अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलांट क्रमशः 6682/2006 एवं 6694/2006 खारिज की जाती है । अति0संभागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2006 यथावत् रखे जाते है । तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	